न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

1. परेश कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार, जाति– सेन, निवासी– मण्डार, जिला–सिरोही
2. धनाराम पुत्र समरथाजी, जाति–सेन, निवासी– मण्डार, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

ग्राम पंचायत, मण्डार जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, मण्डार,जिला–सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 01/2020

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री भैरुपालसिंह बालावत, प्रार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिनेश राजपुरोहित, अप्रार्थी की ओर से

–: निर्णय :–　　　　दिनांक 20 जुलाई, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा प्रार्थीगण को अतिक्रमण हटाने के संबंध में जारी नोटिस क्रमांकः2020/150 दिनांक 06.1.2020 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश राजपुरोहित उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने के बाद भी अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही होने से अप्रार्थी का जवाब बन्द किया गया।

(3) उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण ग्राम मण्डार के स्थायी निवासी है एवं प्रार्थी धनाराम बाल कटिंग का कार्य ग्राम मण्डार में 41 वर्ष से अधिक समय से व प्रार्थी परेश कुमार गत 16 वर्ष से बाल कटिंग का कार्य कर रहा है। प्रार्थी परेश कुमार के पिता रमेश कुमार व प्रार्थी धनाराम को ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा ग्राम मण्डार में दादावाडी रोड पर खालसा आबादी भूमि व्यवसाय करने हेतु किराये पर दी गई थी। प्रार्थी परेश कुमार को किराये पर दी गई खालसा भूमि के उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में प्रार्थी धनाराम को किराये पर दी गई भूमि, पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में ग्राम पंचायत की भूमि है एवं नाप उत्तर–दक्षिण 11 फीट व पूर्व पश्चिम 9 फीट कुल 99 वर्गफीट है। प्रार्थी धनाराम को किराये पर दी गई खालसा भूमि के उत्तर दिशा में प्रार्थी परेश कुमार को किराये पर दी गई भूमि, दक्षिण दिशा में दादावाडी कॉम्पलेक्स, पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम दिशा में ग्राम पंचायत की भूमि स्थित है व नाप उत्तर–दक्षिण 11 फीट व पूर्व–पश्चिम 9 फीट कुल 99 वर्गफीट है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण को उक्त भूमि गत तीस वर्ष से अधिक समय से किराये पर दी हुई है जिसका मासिक किराया प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत को प्रतिमाह अदा किया जा रहा है। उक्त किरायाशुदा भूमि पर प्रार्थीगण कई वर्षो से लोहे के केबिन लगाकर बाल कटिंग का व्यवसाय कर रहे है। इस किरायाशुदा भूमि पर प्रार्थीगण ने विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। प्रार्थीगण के लोहे के केबिन को अधिक समय होने से जंग लगने के कारण केबिन जर्जर हो गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:43:19 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

था एवं तत्समय पंचायत का कार्यकाल पूर्ण हो जाने से किरायेशुदा भूमि पर निर्माण की अनुमति प्राप्त नही होने से व प्रार्थीगण का व्यवसाय बन्द हो जाने पर प्रार्थीगण ने अपने जीवनयापन हेतु जर्जर केबिन हटाकर किरायेशुदा भूमि पर अस्थाई तौर पर ईंटो का ढांचा बनाकर उस पर टीन शेड लगाकर बाल कटिंग का व्यवसाय किया जा रहा था, लेकिन जैन संघ द्वारा गलत शिकायत करने पर ग्राम पंचायत, मण्डार के ग्राम विकास अधिकारी ने किरायेशुदा भूमि पर प्रार्थीगण को अतिक्रमी मानकर अतिक्रमण हटाने के संबंध में नोटिस जारी किया है, जो कानूनन गलत है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा प्रार्थीगण को अतिक्रमण के संबंध में जारी नोटिस दिनांक 06.1.2020 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा प्रार्थीगण को अस्थाई तौर पर किराये पर दी गई भूमि पर किराये की शर्तो का उल्लंघन करते हुए मौके पर रखे हुए केबिन को हटाकर पक्का निर्माण करने से ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा प्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी करके मौके से पक्का निर्माण/अतिक्रमण ग्राम पंचायत ने हटा दिया है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा खालसा भूमि आबादी में दादावाडी रोड पर प्रार्थीगण को किराये पर दी गई भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा पक्का निर्माण किये जाने से पक्के निर्माण एवं निर्माण सामग्री को मौके से हटाने के संबंध में ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा प्रार्थीगण को नोटिस क्रमांक 2020/150 दिनांक 06.1.2020 को जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा प्रार्थीगण को अतिक्रमण हटाने के संबंध में जारी नोटिस से ही इस तथ्य की पुष्टि होती है कि ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा ग्राम मण्डार में खालसा भूमि आबादी में दादावाडी रोड पर भूमि किराये पर दी गई थी। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत में किराया भी अदा किया जा रहा था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा प्रार्थीगण को किराये पर दी गई भूमि के मौके पर प्रार्थीगण ने पक्का निर्माण करवा दिया, जो विधि सम्मत नही है, क्योंकि प्रार्थीगण को ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा भूमि किराये पर दी गई है, जिस पर प्रार्थीगण को कोई मालिकाना हक अधिकार प्राप्त होते है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, मण्डार ने प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर भी प्रदान नही किया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत, मण्डार को प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत कार्यवाई करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत, मण्डार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करे। निर्णय सुनाया गया।

20/7/2021

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:43:19 IST
Reason: SelfAttested